न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 111/2023 (GCMS : 2023/349)

1. **राजप्रीत सिंह** पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, सादुलशहर**
2. **लवप्रीत सिंह** पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
3. **खुशप्रीत कौर** पत्नी तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
4. **गुरसेवक सिंह** पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
5. **सुखदेव कौर** पत्नी हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
6. **गुरजिन्द्र सिंह** पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
7. तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरमनदीप सिंह एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सतीश गौसांई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 243/2023 अनवानी राजप्रीत सिंह बनाम लवप्रीत सिंह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान करश्तकारी अधिनियम एवं वाद संख्या 139/2023 अनवान् राजप्रीत सिंह बनाम लवप्रीत सिंह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 243/2023 अनवानी राजप्रीत सिंह बनाम लवप्रीत सिंह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान करश्तकारी अधिनियम एवं वाद संख्या 139/2023 अनवान् राजप्रीत सिंह बनाम लवप्रीत सिंह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:20 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर